संख्या-248/2026/1893/22-2-2024-17(677)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 19 मार्च,2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय मोदनवाल पुत्र स्व० तुलसी प्रसाद, निवासी जनपद-वाराणसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 16-09-2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी संजय मोदनवाल पुत्र स्व० तुलसी प्रसाद, ग्राम-कादीपुर इन्द्रपुर, थाना-शिवपुर, जनपद-वाराणसी का निवासी है। बंदी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 02/03.05.2017 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जलाकर 01 महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-222/2017 में भा०द०वि० की धारा-498ए, 304 बी व 4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-12, वाराणसी द्वारा दिनांक 07.07.2018 को 10 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.06.2023 तक अपरिहार 06 वर्ष, 01 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 00 माह, 05 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस आयुक्त, वाराणसी द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय मोदनवाल (बन्दी संख्या-61/2019) पुत्र स्व० तुलसी प्रसाद, निवासी जनपद-वाराणसी की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-248/2026/1893(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।